FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

चन्दकलां बनाम कैलाशी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा **मु0नं0** 222 **सन्** **2025 जीसीएमएस नं.** 2025/384

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री जसवन्त सिंह मीणा एड. उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारिख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 476, 477, 481 कुल किता 03 कुल रकबा 2.15 है0 राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना का बेचान न करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों [illegible] अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्ता[illegible] से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों [illegible] करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी [illegible] परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। [illegible]थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:55:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25
को पेश हों।

03/09
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 08/09
को पेश हों।

08/09/25

वकील प्रार्थी उप०। वास्ते कईन्तजार तामील अप्रार्थीगण मिसल दिनांक 17/9/2025 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25
को पेश हों।

24/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वादपत्र में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। पक्षकारान के हक–अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 476, 477, 481 कुल किता 03 कुल रकबा 2.15 है0 तन ग्राम गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना का बेचान न करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:5
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना